(ii) Procurement of 19 Ton B.P. Tug.

(iii) Construction of Additional Oil Jetty_ at Kandla Port.

(iv) Construction of Multipurpose berth at Vadinar.

(v) Procurement of additional "Wharf Cranes.

(vi) Development of Container Handling Facilities.

The development of minor ports is the responsibility of the respective State Government.

. National Highway project in Andhra Pradesh

1322. SHRI YEKRA NARAYAN ASWAMY: Will the Minister of SUR FACE TRANSPORT br pleased to state:

(a) what are the projects sanctioned with regard to National Highways including widening of roads in West Godavari District of Andhra Pradesh for the years 1994-95 and 1995-96;

(b) whether any by-pass roads have also been cleared on the Natonal Highway Sector in West Godavari District of Andhra Pradesh; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER. OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYT. LER): (a) Nil.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

देश में जलमार्गों का विकास

1323 श्री राम जेठमलानी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जलमार्गों के विस्तार और विकास की पर्याप्त संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में जलमार्गों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप-रेखा क्या है और इसके कार्यान्वयन की क्या योजना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश की कई छोटी-बड़ी नदियों को परस्पर जोड़कर अनेक नए जलमार्गों का विस्तार किया जा सकता है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी नदियों की पहचान की है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां । वर्ष 1980 में, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (एन टी पी सी) ने देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए, विचारार्थ, निम्न-लिखित दस जलमार्गों का पता लगाया था :–

(i) गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली ।
(ii) ब्रह्मपुत्र
(iii) पश्चिम तटीय नहर
(iv) सुन्दरबन
(v) गोदावरी
(vi) कृष्णा
(vii) महानदी
(viii) नर्मदा
(ix) गोवा में मंडोवी-जुआरी नदियां तथा कम्बरजुआ नहर ।
(x) तापी ।

उपर्युक्त 10 जलमार्गों में से सरकार द्वारा अभी तक निम्नलिखित तीन को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया गया है :—

1 गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली को हल्दिया से इलाहाबाद तक (1620 कि.मी.)।

2 ब्रह्मपुत्र को धुबरी से सैदिया तक (891 कि० मी०) ।

3 पश्चिम तटीय नहर को कोट्टापुरम से कोलम तक (168 कि०मी०) और उद्योग मंडल नहर (23 कि०मी०) तथा चम्पाकारा नहर (14 कि०मी०) टर्मिनलों, नौचालन उपकरणों, आदि जैसी मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ उक्त राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की योजनायें चल रही हैं। गोदावरी नदी के चेरला-राजमुंदरी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-4 के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है। गोवा में मंडोवी, जुआरी नदियों और कम्बरजुआ नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के संबंध में, आगे कार्यवाही करने से पहले, गोवा सरकार से अपनी सहमति भेजने का अनुरोध किया गया है ।

(घ) से (च) उपर्युक्त राष्ट्रीय जल-मार्गों को पूर्णतः प्रचालनात्मक बनाने के बाद ही देश की अनेक बड़ी और छोटी नदियों को आपस में जोड़कर जलमार्गों के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

सड़क परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

1324 **श्री राम जेठमलानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1994 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "पैनल टू डिस्कस रोड प्रोजेक्ट्स डिले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गठित की गई सचिव स्तरीय समिति ने कुल 20 करोड़ अथवा उससे अधिक की लागत वाली पुल अथवा सड़क निर्माण परियोजनाओं में हुए विलम्ब पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनके निर्माण में कितना-कितना विलम्ब हो चुका है एवं उनकी निर्माण लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि मूल लागत का कितना-कितना प्रतिशत है ;

(घ) क्या उक्त समिति ने परि-योजनाओं के निर्माण के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) विवरण में दिए हैं । (नीचे देखिये) ।

(घ) और (ङ) जी, हां । समिति ने मोटे तौर पर एक अलग संगठन की स्थापना करने, राज्य सरकारों द्वारा चालू कार्यों की आवधिक समीक्षा करने, परि-योजना का संपूर्ण समन्वय और कड़ा पर्यवेक्षण करने, कार्यान्वयन और कड़ी निगरानी तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में शीर्ष प्रबन्ध समिति द्वारा कठिनाईयों का समाधान करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।